न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 07/2024(GCMS : 2024/151)

महेन्द्र कौर पत्नी स्व. श्री गुरबचन सिंह जाति मजहबी आयु 81 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 09, ढिल्लो कॉलोनी, नजदीक पटाखा फैक्ट्री, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर **मोबाईल नम्बरः** 63789-04948

बनाम

1. **मंगल सिंह** पुत्र स्व. गुरबचन सिंह जाति मजहबी निवासी वार्ड नम्बर 09, ढिल्लो कॉलोनी, नजदीक पटाखा फैक्ट्री, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर : 83069-37081
2. **वीरपाल कौर** पत्नी मंगल सिंह जाति मजहबी निवासी वार्ड नम्बर 09, ढिल्लो कॉलोनी, नजदीक पटाखा फैक्ट्री, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर : 88299-37801

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.12.2025

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्ररकण संख्या 01/2024 पेश किया था। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को प्रार्थी महेन्द्र कौर मई 2024 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व 1000/- रूपये अखरे एक हजार रूपये अदा करने के आदेश दिनांक 21.05.2024 को दिये थे, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है। अपीलार्थी ने अपने पुत्र और पुत्रवधु से मकान मुक्त करवाने एवं भरण पोषण की राशि 10,000/- प्रतिमाह दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

अपीलार्थी महेन्द्र कौर ने यह अपील अपने पुत्र मंगल एवं पुत्र वधु वीरपाल कौर के विरूद्ध पेश की है। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के तहत माता पिता के द्वारा ही अपनी संतान (पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री) के विरूद्ध प्रस्तुत की जा सकती है। पुत्रवधु के विरूद्ध यह अपील पेश नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी अपील दायर होने के बाद दिनांक 17.02.2025 को उपस्थित हुई थी, इसीप्रकार प्रत्यर्थी दिनांक 24.12.2024 को न्यायालय में उपस्थित हुआ था, इससे पूर्व एवं पश्चात् कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रतीत होती है कि अपीलार्थी की इस अपील को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:00 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षकार दिनांक 05.03.2025 से लगातार कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है जबकि पक्षकारान का दायित्व था कि वह समय समय पर न्यायालय में

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उपस्थित होकर प्रकरण की कार्यवाही में बारे में जानकारी प्राप्त करती, किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को विचाराधीन अपील में कोई रूचि नहीं है। अपीलार्थी लगभग गत 10 माह से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है। अपीलार्थी को बार–बार रूक रूक कर आवाज लगाई गई, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुई है। इसलिए अपीलार्थी की अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य हे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील भरण पोषण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश की प्रति एवं उनके न्यायालय का मूल रिकॉर्ड पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:00 IST
Reason: SelfAttested